न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 81/07 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रामकुंवार पुत्र मोहरिया

2. बख्तावर पुत्र मोहरिया जाति यादव निवासी ग्राम सरकनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर

:——— अपीलांटस

बनाम

1 मिश्राला पुत्र हुकम चन्द
2 धर्मवीर पुत्र हुकम चन्द
3 भूरजी पुत्र झम्मन
4 कैलाश पुत्र रामसिंह
5 जगदीश पुत्र रामसिंह
6 सुन्दर पुत्र रामसिंह
7 सरजीत
8 बबली
9 चान्दराम पुत्रान झम्मन
10 यादराम पुत्र सोहन
11 रामवतार पुत्र सोहन
12 वीरेन्द्र पुत्र सोहन
13 रामप्रसाद पुत्र बिरजू जाति यादव निवासीयान ग्राम सरकनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर

:———असल रेस्पो0

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

14 ताराचन्द पुत्र गणपत

15 कल्लू पुत्र गणपत

16 किशन लाल

17 रामनिवास पुत्रान गणपत

18 गजराज पुत्र रामस्वरूप

19 सुरजन पुत्र रामस्वरूप

20 जसवन्त पुत्र रामस्वरूप

21 भूरू पुत्र शिम्भू

22 हंसराज पुत्र शिम्भू

23 राजाराम पुत्र शिम्भू

24 बोदन पुत्र शिम्भू

25 श्यामलाल पुत्र परसराम

26 समेसिंह पुत्र परसराम

जाति यादव निवासीयान ग्राम सरकनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, तिजारा दिनांक 1.12.98

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :-सर्व श्री जनार्दन शर्मा, ओमानंद चौधरी

2. वकील रेस्पो0असल :-सर्व श्री दिनेश यादव, महेन्द्र यादव

निर्णय दिनांक 16.03.2021

------ ----------------

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 1/310/91 बाबत इस्तकरारहक मय हुकमइम्तनाई दवामी में पारित निर्णय दिनांक 1.12.98 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद डिक्री किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 804 रकबा 09 बिस्वा, 805 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, 808 रकबा 17 बिस्वा व 809 रकबा 06 बिस्वा वाके ग्राम मुन्डाना तहसील तिजारा है, जो वादीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है । उक्त विवादित आराजी में झम्मन पुत्र कुन्दन 1/2 भाग तथा बिरजू पुत्र मंगल 1/2 भाग के खातेदार थे । झम्मन के वारिसान वादीगण संख्या 1 ला0 4 तथा बिरजू के वारिसान वादीगण संख्या 5 ला0 6 है । परन्तु सम्वत 2029 में बंदोबस्त विभाग ने उपरोक्त साबिक खसरा नम्बरों हाल नम्बर 880 मिन रकबा 3 बिस्वा, 883 मिन रकबा 10 बिस्वा, 884 रकबा 5 बिस्वा, 887 रकबा 4 बिस्वा, 888 रकबा 4 बिस्वा तथा 889 रकबा 10 बिस्वा कायम कर प्रतिवादीगण के बुजुर्गान सुखदेव, गणपत, मोहरिया, रामस्वरूप के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दी । बंदोबस्त विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय द्वारा डिक्री किया है, जिसकी यह अपील प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट प्रतिवादी ने तर्क दिये कि हमारे पिता प्रतिवादी मोहरिया की गलत तामील कराई गई है । गलत तौर पर उनकी इकतरफा की गई है । इसलिये अपीलाधीन निर्णय की समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी । जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद है । जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि तहत अदालत ने हमको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया । विवादित भूमि से वादी का कोई लेना देना नहीं है । बंदोबस्त विभाग ने मौका कब्जा अनुसार सही इन्द्राज किये हैं । कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि साबिक रेकार्ड में हमारे नाम दर्ज थी, जिसे गलत तौर पर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी । भू प्रबन्ध विभाग को केवल साबिक इन्द्राजात को दोहराने का ही अधिकार है, उसे परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है । जहां तक इनकी तामील का सवाल है तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इनकी प्रोपर तामील हुई है । ये जानबूझकर तहत अदालत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

में उपस्थित नहीं है । अपील मियाद बाहर है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये। अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नरम रूख अपनाया जाता है तथा देरी को माफ किया जाता है ।

6 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2011 में विवादित आराजी पर प्रहलाद हिस्सेदार वाया झम्मन, बिरजू समभाग साकिन सरकनपुर खरीददारान बिला हिस्सास शामलात खुद खरीददारान का अंकन किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2020 में झम्मन व बिरजू को समभाग में खातेदार दर्ज किया हुंआ है । जमाबन्दी सम्वत 2029 में विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण को खातेदार दर्ज किया हुआ है ।

7 उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह सिद्ध है कि विवादित भूमि वादीगण के पितागण की खातेदारी साबिक रेकार्ड में दर्ज थी, जिसे परिवर्तित करके बंदोबस्त विभाग ने सम्वत 2029 में बिना किसी अधिकार के प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दीं । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि भू प्रबन्ध विभाग को पुराने इन्द्राजात को दोहराने का ही अधिकार है, उसे इन्द्राज परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है । प्रतिवादीगण ने इकबाल दावा एवं राजीनामा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 में प्रतिपादित किया है कि स्वीकारोक्ति सबसे अच्छा साक्ष्य होता है, उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है । फिर भी वादी ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है । जहां तक अपीलांट के इस कथन का प्रश्न है कि तहत अदालत में उनके पिता प्रतिवादी मोहरिया की तामील नहीं हुई थी, उनकी गलत तौर पर इकतरफा की गई थी, तो इस सम्बन्ध में हमने प्रतिवादी मोहरिया को जारी समन नोटिस का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

समन स्वयं मोहरिया ने प्राप्त किया है, उसके अंगूठा निशानी दर्ज है और 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाये गये हैं। उसके द्वारा वकालतनामा भी प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार सिद्ध है कि अपीलांट के पिता प्रतिवादी मोहरिया की तामील हुई है ।

8 उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन एवं तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

9 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.12.1998 यथावत रखे जाते हैं।

10 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सांखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :– 81/07 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :– 1. रामकुंवार पुत्र मोहरिया

2. बख्तावर पुत्र मोहरिया जाति यादव निवासी ग्राम सरकनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर

:——— अपीलांटस

बनाम

1 मिश्राला पुत्र हुकम चन्द
2 धर्मवीर पुत्र हुकम चन्द
3 भूरजी पुत्र झम्मन
4 कैलाश पुत्र रामसिंह
5 जगदीश पुत्र रामसिंह
6 सुन्दर पुत्र रामसिंह
7 सरजीत
8 बबली
9 चान्दराम पुत्रान झम्मन
10 यादराम पुत्र सोहन
11 रामवतार पुत्र सोहन
12 वीरेन्द्र पुत्र सोहन
13 रामप्रसाद पुत्र बिरजू जाति यादव निवासीयान ग्राम सरकनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर

:———असल रेस्पो०

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

14 ताराचन्द पुत्र गणपत

15 कल्लू पुत्र गणपत

16 किशन लाल

17 रामनिवास पुत्रान गणपत

18 गजराज पुत्र रामस्वरूप

19 सुरजन पुत्र रामस्वरूप

20 जसवन्त पुत्र रामस्वरूप

21 भूरू पुत्र शिम्भू

22 हंसराज पुत्र शिम्भू

23 राजाराम पुत्र शिम्भू

24 बोदन पुत्र शिम्भू

25 श्यामलाल पुत्र परसराम

26 समेसिंह पुत्र परसराम

जाति यादव निवासीयान ग्राम सरकनपुर तहसील तिजारा
जिला अलवर राजस्थान

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, तिजारा
दिनांक 1.12.98

उपस्थित	:-	1.	वकील अपीलांट	:-सर्व श्री जनार्दन शर्मा, ओमानंद चौधरी
		2.	वकील रेस्पो0असल	:-सर्व श्री दिनेश यादव, महेन्द्र यादव

पर्चा डिक्री — दिनांक 16.03.2021

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.12.1998 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर